

दिनांक 12.01.2015 को कृषि विभाग, विकास भवन के सभा कक्ष में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:—पंजी में संधारित।

1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं एसी-डीसी-

- 1.1 बीज ग्राम योजना वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय जिला कृषि पदाधिकारियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु किसी का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सही रूप में तैयार नहीं है। इसलिए पुनः बीज ग्राम योजना अंतर्गत निकासी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने हेतु निदेश निम्न प्रकार दिया गया।
- 1.2 पत्रांक 630 दिनांक 02.02.2012 अर्थात् दिनांक 01.10.2011 के बाद स्वीकृत राशि का यू0सी0 तैयार करने हेतु नये विहित प्रपत्र बी0टी0सी0 42ए0 के साथ चेकस्लिप भी भरना है। बी0टी0सी0 42ए0 तथा चेकस्लिप की प्रति सभी संयुक्त कृषि निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया। इसके लिए अंकेक्षण कराना आवश्यक होगा।
- 1.3 दिनांक 01.10.2011 के पूर्व स्वीकृत राशि का यू0सी0 पुराने बी0टी0सी0 42ए0 में तैयार करना है, इसके लिए अंकेक्षण आवश्यक नहीं है।
- 1.4 स्वीकृति आदेश सं0 4808 दिनांक 22.09.2009 एवं 3054 दिनांक 08.07.2009 द्वारा स्वीकृत राशि के लिए संभव हो तो अलग-अलग उपयोगिता प्रमाण-पत्र पुराने प्रपत्र बी0टी0सी0 42ए0 में तैयार किया जाय। इसके साथ चेकस्लिप आवश्यक नहीं है।
- 1.5 आवश्यक राशि यदि प्रत्यार्पित किया गया है तो प्रत्यार्पण का पत्रांक एवं दिनांक तथा उसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय।
- 1.6 उपयोगिता प्रमाण-पत्र की मूलप्रति देना आवश्यक है।
- 1.7 यदि चालान से राशि जमा किया गया है तो चालान का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाय।
(अनुपालन - सभी जिला कृषि पदाधिकारी)
- 1.8 जिला कृषि पदाधिकारी कैमूर, अरवल एवं समस्तीपुर को दिनांक 15.01.2015 तक बीज ग्राम योजना का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जो राशि अवशेष है उसे दिनांक 20.01.2015 तक व्यय कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन- संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)
- 1.9 ए0सी0 विपत्र पर निकाले गये राशि जो व्यय हुये हैं, उसका डी0सी0 विपत्र तैयार कर अद्यतन प्रतिवेदन दिनांक 20.01.2015 तक उपलब्ध करा देंगे।
(अनुपालन - सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

W

⊙

2 बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2010-11 के बीच का ई-किसान भवन के निर्माण से संबंधित 10.72 करोड़ रुपये का डी0सी0 बिल जिला कृषि पदाधिकारियों के स्तर पर लंबित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

कृषि विभाग द्वारा ए0सी0 विपत्र से निकासी कर निर्माण कार्य हेतु प्राधिकृत कार्य विभाग को उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण।

ई-किसान भवन

दिनांक :-19.01.2015

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्यान्वयन एजेसी का नाम/ विभाग का नाम	ए0सी0विपत्र सं०/वर्ष	ए0सी0बिल की राशि	अवशेष राशि	कार्य जिसके लिए राशि उपलब्ध कराई गई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	ग्रामीण कार्य विभाग	226/2010-11	10671500	500	ई-किसान भवन	
		भवन प्रमंडल	279/2010-2011	9756800	1819000	ई-किसान भवन का निर्माण (बख्तियारपुर एवं धनरूआ प्रखंड)	
						ई-किसान भवन का निर्माण मनेर प्रखण्ड।	
		2	20428300	20428300			
2	नालंदा	ग्रामीण कार्य विभाग	17/2010-11	10061700	10061700	ई-किसान भवन	
3	बांका	ग्रामीण कार्य विभाग	54/2010-11	6037020	6037020	ई-किसान भवन	
			1	6037020	6037020		
4	अररिया	ग्रामीण कार्य विभाग	105/2008-09	11018000	254178	ई-किसान भवन	
			1	11018000	254178		
5	गोपालगंज	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमण्डल गोपालगंज	76/2007-08	1399000	387959	ई-किसान भवन, गोपालगंज	
			57/2008-09	14518000	1721839	ई-किसान भवन	
			19/2010.11	8049360	4865247	ई-किसान भवन	रिपोर्टेड शून्य
			87/2010-11	16342640	5042800	ई-किसान भवन	नन एडजेस्ट
			4	40309000	12017845		
6	वैशाली	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	139/2010-11	11708160	360	ई-किसान भवन	
			1	11708160	360		
7	शिवहर	भवन प्रमंडल	81/2010-11	8171320	6098000	ई-किसान भवन	
			1	8171320	6098000		
8	जहानाबाद	ग्रामीण कार्य विभाग	73/2010-11	5854080	1855584	ई-किसान भवन	
		भवन प्रमंडल	78/2010-11	6402900	4500000	ई-किसान भवन	
			68/2010-12	6037020	4500000	ई-किसान भवन	
			3	18294000	10895584		
9	औरंगाबाद	भवन प्रमंडल	77/2008-09	14518000	627729	ई-किसान भवन	नन एडजेस्ट

			143 / 2010-11	5854080	2204174	ई-किसान भवन
			71 / 2010-11	6037020	116316	ई-किसान भवन
			110 / 2008-09	3289000	198196	ई-किसान भवन
			3	29698100	3146415	
10	गया	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन-1	114 / 2010-11	16342640	4545604	ई-किसान भवन
			92 / 2010-11	8049360	8049360	ई-किसान भवन
			2	24392000	12594964	
11	मधेपुरा	जिला परिषद	256 / 2010-11	28599620	15155600	ई-किसान भवन
			1	28599620	15155600	
12	अरवल	ग्रामीण कार्य विभाग	152 / 2010-11	8171320	3922069	ई-किसान भवन
			1	8171320	3922069	
13	जमुई	ग्रामीण कार्य विभाग-1	57 / 2010-11	5854080	1854080	ई-किसान भवन
		ग्रामीण कार्य विभाग-2	128 / 2008-09	1093300	712348	ई-किसान भवन
		ग्रामीण कार्य विभाग-1	58 / 2010-11	6402900	6402900	ई-किसान भवन
			3	13350280	8969328	
14	लकखीसराय	ग्रामीण कार्य विभाग	201042565 / 3 6 / 2010-11	6037020	1064992	ई-किसान भवन
			1	6037020	1064992	
15	नवादा	डी0 आर0 डी0 ए0	101 / 2010-11	6402900	2120250	ई-किसान भवन
			129 / 2010-11	5854080	881499	ई-किसान भवन
			23 / 2010-11	6037020	1784999	ई-किसान भवन
			3	18294000	4786748	
16	भोजपुर	आर0 ई0 ओ0	85 / 2010-11	23782200	1873414	
			1	23782200	1873414	
कुल योग			27	268290340	107244817	

- 3 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में ई-किसान भवन के लम्बित ए0सी0 विपत्र के विरुद्ध कोई प्रगति नहीं पायी गई है। व्यय की गयी राशि का प्रपत्र 27ए0 में कार्यान्वयन एजेन्सी के कार्यपालक अभियंता से प्रतिवेदन प्राप्त कर उसका डी0सी0 विपत्र एवं चेकलिस्ट नियमानुसार महालेखाकार कार्यालय में जमा कराकर राशि समायोजित कराने का निदेश दिया गया।
- 4 विभिन्न योजना मद में निकासी की गयी राशि की समीक्षा क्रम में पाया गया कि जैविक खेती मद में जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान द्वारा राशि की निकासी नहीं की गयी है। इस योजना अंतर्गत सभी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण को भी राशि उपलब्ध करायी गयी है; जिसमें से मात्र सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, भागलपुर, मुंगेर एवं वैशाली ने राशि की निकासी की है। शेष सहायक

निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा राशि की निकासी अभी तक नहीं की गयी है। इनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – प्रभारी पदाधिकारी, जैविक उर्वरक कोषांग)

- 5 किसान सलाहकार योजना अंतर्गत व्यय की गयी राशि का अवलिम्ब निकासी करने, राशि की आवश्यकता का आकलन कर, शेष राशि प्रत्यार्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

- 6 वेयर हाउसिंग एवं स्टोरेज विकास योजना अंतर्गत धातु कोटिला वितरण मद में मात्र गया जिला में कुछ राशि निकासी की गयी है, शेष जिलों में निकासी नहीं हुई है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर राशि निकासी कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया। नोडल पदाधिकारी दिनांक 21.01.2015 को समीक्षाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपालन – सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रभारी पदा, रा0कृ0वि0यो0)

- 7 कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार द्वारा कृषि विभाग द्वारा निर्मित ई-किसान भवन का सही उपयोग करने का निदेश दिया गया। आर0आई0डी0एफ0 योजना से सभी ई-किसान भवन में टी0भी0/प्रोजेक्टर की व्यवस्था करने तथा कृषक प्रशिक्षण आयोजित करने का निदेश दिया गया। एन0ई0जी0पी0ए0(NEGP-A)योजना अंतर्गत ई-किसान भवन को सुदृढ करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – प्रभारी पदा, ई किसान भवन)

8 कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार द्वारा निम्न निदेश दिये गये –

8.1 जिला कृषि कार्यालयों में एकाउन्टिंग पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। सभी जिलों में एन0आई0टी0 के माध्यम से टैली इन्सटॉल कराने, एकाउन्टिंग स्ट्रक्चर को सुदृढ करने, एक्सपर्ट एकाउन्टेन्ट को रखने, डबल इंट्री से कैशबुक संधारण करने एवं सभी योजना के लिए अलग-अलग बैंक खाता खोलने का निदेश दिया गया।

8.2 हरित चादर योजना अंतर्गत ढ़ैचा एवं मूंग के बीज का वितरण 15 मार्च 2015 तक कर देने का निदेश दिया गया। एग्रीगेटर/सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था से बीज लेने एवं ढ़ैचा बीज की व्यवस्था अभी से ही करने एवं किसानों को प्रोत्साहित करने का निदेश दिया गया।

8.3 जैविक खाद के उत्पादन की समीक्षा करने एवं व्यवसाय जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा देने का निदेश दिया गया। जैविक खाद के उपयोग से यदि आर्सेनिक का प्रभाव अनाज पर हो रहा है। निदेश दिया गया कि विश्वविद्यालय के साथ बैठक कर समीक्षा कर लें कि मिट्टी एवं अनाज पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है।

8.4 दलहन एवं तेलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने का निदेश दिया गया। अगले वर्ष से दलहन एवं तेलहन बीज की शत-प्रतिशत उपलब्धि हेतु योजना अभी से तैयार करने का निदेश दिया गया।



